मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफः 9-4/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा तथा दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान ।

--•--

शासन द्वारा मध्यप्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी (उपादान हितलाभ) नियम,1962, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 7-10-2016 द्वारा स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की जारी योजना एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 03 मई 2017 से जारी निर्देशों को निष्प्रभावी करते हुये निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा में कार्यरत कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/स्थायी कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति होने पर मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान, उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया जावे।

2/ यह आदेश दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी किया जाता है । इस तिथि के पूर्व मृत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों में, जिनमें नियंत्रण प्राधिकारी उपादान भुगतान अथवा न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है अथवा भविष्य में दिया जाता है, में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनुराग जैन)
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 9-4/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग